इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583] भोपाल, शुक्रवार दिनांक 26 अक्टूबर 2018—कार्तिक 4, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ-22-08-2018-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1-90-आठ, दिनांक 4 अगस्त 1994 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 243 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"243 मोटरयान विभाग की स्थापना : (1) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 के अर्थ के अन्तर्गत मोटरयान विभाग, मध्यप्रदेश सरकार का परिवहन विभाग होगा. परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश के रूप में पदाभिहित अधिकारी विभाग का सम्पूर्ण रूप से प्रभारी तथा नियंत्रक होगा तथा राज्य सरकार के सामान्य तथा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देश के अध्यधीन होगा. अधिनियम की धारा 213 के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी मोटरयान विभाग के अधिकारी समझे जाएंगे. निम्न वर्ग के अधिकारी उच्चतर वर्ग के अधिकारियों के अधीनस्थ होंगे:—

वर्ग (1)	अधिकारियों के पदनाम (2)
एक	परिवहन आयुक्त
दो	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी
तीन	उप परिवहन आयुक्त

(1)	(2)
चार	(क) सहायक परिवहन आयुक्त (ख) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग) अपर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
पांच	सहायक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी
छ:	(क) परिवहन निरीक्षक (ख) मोटरयान परिवहन निरीक्षक
सात	(क) परिवहन उप निरीक्षक (ख) मोटरयान परिवहन उप निरीक्षक
आठ	सहायक परिवहन उप निरीक्षक
नौ	परिवहन प्रधान आरक्षक
दस	परिवहन आरक्षक

(2) ऊपर उप-नियम (1) के (छह) से (दस) तक के वर्गों में विनिर्दिष्ट अधिकारी मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा) सेवा से संबंधित होंगे.

2. यह संशोधन 6 जुलाई 2011 से प्रवृत हुआ समझा जाएगा.

No. F. 22-08-2018-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. F-8-1-90-VIII, dated 4th August, 1994 the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 243 the following rule shall be substituted, namely:—

"243. **Establishment of Motor Vehicles Department.**—(1) The Motor Vehicles Department within the meaning of Section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) shall be the Transport Department of Government of Madhya Pradesh. The officer designated as Transport Commissioner, Madhya Pradesh shall be overall incharge and controller of the Department and subject to the general and specific guidance of the State Government. The following officers shall be deemed to be the officers of the Motor Vehicles department in terms of Section 213 of the Act, the officers in a lower Category being subordinate to officers in the higher category:—

Category (1)	Designation of Officers (2)
I	Transport Commissioner
II	Secretary State Transport Authority

(1)	(2)
III	Deputy Commissioner Transport
IV	(a) Assistant Transport Commissioner
	(b) Regional Transport Officer
	(c) Additional Regional Transport Officer
V	Assistant Regional Transport Officer
VI	(a) Transport Inspector
	(b) Motor Vehicle Transport Inspector
VII	(a) Sub Transport Inspector
	(b) Motor Vehicle Deputy Transport Inspector
VIII	Assistant Transport Sub Inspector
IX	Transport Head Constables
X	Transport Constables

(2) The officers specified in categories vi to x of sub-rule (1) above shall belong to the Madhya Pradesh Transport department Sub-ordinate (class-III Executive) service.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 06th July 2011.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.